दैनिक जागरण

Date: 19.11.17, Page:6

रीढ़ की चोट से युवा अधिक पीड़ित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हादसों में रीढ़ की गंभीर चोट से युवा सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। रीढ़ की हड्डी की इंजरी से संबंधित बीमारियों के इलाज पर आयोजित सम्मेलन में डॉक्टरों ने कहा कि रीढ़ की चोट से 40 फीसद युवा व कामकाजी लोग पीड़ित होते हैं। इससे पूरे परिवार पर असर पड़ता है। इंडियन स्पाइनल इंजरी व स्पाइनल कॉर्ड सोसायटी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टरों ने देश में चिकित्सा सुविधाओं पर चिंता जाहिर की।

इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के निदेशक डॉ. एचएस छाबड़ा ने कहा कि लोग पहले समझते थे कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने व शरीर का हिस्सा पैरालाइज होने पर इलाज होना संभव नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस में अभी ऐसा इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है जिससे मरीज पूरी तरह अपने पैर पर खड़ा होकर चल पाए। फिर भी इतना कारगर इलाज उपलब्ध हो गया है जिससे मरीज ठीक होकर दोबारा अपने पेशे व व्यवसाय में वापस आ सकते हैं। इसके लिए सरकार को बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि रीढ़ की चोट के इलाज के लिए स्टेम सेल अभी तकनीक शोध के स्तर पर है। इसलिए यदि कोई स्टेम सेल से इलाज कराए भी तो पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए। क्लीनिकल ट्रायल के रूप में स्टेम सेल से इलाज कराया जा सकता है।

अमर उजाला
हर सवेरे नया जोश नया उजाला

Date: 19.11.17, Page:8

फिर उठे स्टेम सेल पद्धति पर सवाल

नई दिल्ली। स्टेम सेल पद्धति पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। इस बार स्पाइन के विशेषज्ञों के इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। डाक्टरों का कहना है कि स्पाइन इंजरी (रीड की हड्डी में चोट) विशेषज्ञों की मानें तो इस पद्धति से अभी तक कोई प्रमाणिक सफलता नहीं मिली है। जानवरों में भी अभी तक कोई प्रमाणिक शोध सामने नही आया है, लेकिन अगर ऐसे मरीजों का सही तरीके से इलाज किया जाए तो यह पैरों पर खड़े हुए बिना ही सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे मरीजों के पुनर्वास को लेकर शनिवार को दिल्ली के इंटरनेशनल स्पाइन एंड स्पाइनल इंजरी कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। तीन दिन चलने वाले इस आयोजन में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्पाइनल कोड सोसायटी के सचिव डा. एचएस छाबड़ा बताते है कि देश में रीढ़ की परेशानी के इलाज के तौर पर केवल उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन उनके पुनर्वास पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से ऐसे मरीज ऑपरेशन के बाद भी सामान्य जीवन में नहीं लौट पाते हैं। जबकि देश में इस बाबत कानून भी है कि केवल रीढ़ की परेशानी की वजह से किसी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। आंकड़े बताते है कि पुनर्वास की कोशिश करने पर लगभग 50.55 प्रतिशत मरीज सामान्य जीवन में लौट आते हैं। ब्यूरो

पंजाब केसरी

Date: 19.11.17, Page:10

रीढ़ की परेशानी में कारगर नहीं है स्टेम सेल पद्धति से इलाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): स्टेम सेल को लेकर चिकित्सा की दुनिया में चाहे जितनी भी संभावना जताई जाएं लेकिन स्पाइन इंजरी (रीढ़ की हड्डी में चोट) विशेषज्ञों की मानें तो रीढ़ की चोट में इस पद्धति से अभी तक कोई प्रमाणिक सफलता नहीं मिली है। यहां तक की जानवरों में भी अभी तक कोई प्रमाणिक शोध सामने नहीं आया है। लेकिन अगर ऐसे मरीजों का सही तरीके इलाज किया जाए तो यह पैरों पर खड़े हुए बिना ही सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे मरीजों के पुनर्वास को लेकर शनिवार को राजधानी में इंटरनेशनल स्पाइन एंड स्पाइनल इंजरीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बढ़ती उम्र में भी रीढ़ के हड्डी की परेशानियों में हो रहा है इजाफा

इंटरनेशनल स्पाइन कोर्ड सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. फिन बियरिंग सोरेंसेन बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी में स्टेम सेल से इलाज अभी अपने प्रायोगिक तौर में है। इसलिए इसे इलाज के तौर पर पेश करना और इस पद्धति से इलाज के लिए पैसा मांगना अनैतिक है। डॉ. एके मुखर्जी कि मानें तो रीढ़ की परेशानियों का 40 प्रतिशत से ज्यादा मामले सड़क दुर्घटना के होते हैं। इनमें भी दोपहिया वाहनों और फुटपाथ पर चलने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब तो कार की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने की वजह से परेशानी के काफी मामले आने लगे हैं। इनकी उम्र 20-40 साल के बीच की होती है। इसके अलावा फिसलने और गिरने से बढ़ती उम्र में भी रीढ़ के हड्डी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार आगामी 2030 तक देश में 15 प्रतिशत वयस्क रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी से पीड़ित होंगे।

स्पाइनल कोर्ड सोसायटी के सचिव डॉ. एचएस छाबड़ा बताते हैं कि देश में रीढ़ की परेशानी के इलाज के तौर पर केवल उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन उनके पुनर्वास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से ऐसे मरीज ऑपरेशन के बाद भी सामान्य जीवन में नहीं लौट पाते हैं। जबकि देश में इस बाबत कानून भी है कि केवल रीढ़ की परेशानी की वजह से किसी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। साथ ही आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मरीजों के पुनर्वास की कोशिश करने पर लगभग 50-55 प्रतिशत मरीज सामान्य जीवन में लौट आते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हालांकि इसमें उनके परिवार के सपोर्ट का खास रोल होता है।

राष्ट्रीय सहारा

Date: 20.11.17, Page:2

रीढ़ की परेशानी में कारगर नहीं स्टेम सेल पद्धति से इलाज

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

स्टेम सेल को लेकर चिकित्सा की दुनिया में चाहे जितनी भी संभावना जताई जाए लेकिन स्पाइन इंजरी (रीढ़ की हड्डी में चोट) में इस पद्धति से अभी तक कोई प्रमाणिक सफलता नही मिली है। यहां तक कि जानवरों में भी अभी तक कोई प्रमाणिक शोध सामने नही आया है लेकिन अगर ऐसे मरीजों का सही तरीके इलाज किया जाए तो यह पैरों पर खड़े हुए बिना ही सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे मरीजों के पुनर्वास को लेकर राजधानी में इंटरनेशनल स्पाइन एंड स्पाइनल इंजरीस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इंटरनेशनल स्पाइन कोर्ड सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. फिन बियरिंग सोरेंसेन के अनुसार रीढ़ की हड्डी में स्टेम सेल से इलाज अभी अपने प्रायोगिक तौर में है। इसलिए इसे इलाज के तौर पर पेश करना और इस पद्धति से इलाज के लिए पैसा मांगना अनैतिक है। डॉ. एके मुखर्जी ने कहा कि रीढ़ की परेशानियों का 40 फीसद से ज्यादा मामले सड़क दुर्घटना के होते हैं। इनमें भी दोपहिया वाहनों और फुटपाथ पर चलने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब तो कार की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने से पेरशानी के काफी मामले आने लगे हैं। इनकी उम्र 20-40 साल के बीच की होती है। इसके अलावा फिसलने और गिरने से बढ़ती उम्र में भी रीढ़ की हड्डी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार आगामी 2030 तक देश में 15 फीसद वयस्क रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी से पीड़ित होंगे।

स्पाइनल कोड सोसायटी के सचिव डॉ. एचएस छाबड़ा बताते हैं कि देश में रीढ़ की परेशानी के इलाज के रूप में केवल उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है लेकिन उनके पुनर्वास पर बिलकुल भी ध्यान नही देते। इससे ऐसे मरीज ऑपरेशन के बाद भी सामान्य जीवन में नही लौट पाते हैं।

जबकि देश में इस बाबत कानून भी है कि केवल रीढ़ की परेशानी की वजह से किसी को नौकरी से नही हटाया जा सकता। साथ ही आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मरीजों के पुनर्वास की कोशिश करने पर लगभग 50-55 फीसद मरीज सामन्य जीवन में लौट आते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हालांकि इसमें उनके परिवार के सपोर्ट का खास रोल होता है।